BEFORE THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL BENCH AT NAINITAL

Present: Hon'ble Mr. Capt. Alok Shekhar Tiwari

------ Member (A)

CLAIM PETITION NO. 89/NB/SB/2025

B. C. Masiwal, S/o Late Shiv Dutt Masiwal Presently posted as Sub Inspector at P.S Munsiyari District Pithoragarh.

.... **Petitioner**

VERSUS

1. State of Uttarakhand through Secretary, Home Government of Uttarakhand, Dehradun.
2. Deputy Inspector General, Uttarakhand Police, Kumaon Range Nainital.
3. Superintendent of Police Pithoragarh District Pithoragarh

.... **Respondents**

Present: Sri Kishore Rai and Sri Vinod Chandra,
Advocates for the petitioner
Sri Kishore Kumar, Ld. A. P. O.

JUDGMENT

DATED: JULY 30th , 2026

By means of this petition, the petitioner seeks the following reliefs:-

"I. A direction to quash the order dated 25.04.2023 passed by respondent no. 3 awarding Censure to the petitioner keeping in view of the long unblemished service of the petitioner.

II. A direction to quash the order dated 10.09.2025 passed by the respondents which the appeal of the petitioner is rejected.

III- A direction to expung the Censure entry from the service record of the petitioner.

IV- To award the cost of the petition or to pass such other order or direction which this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case."

2. In brief, the facts of the case are that:-

2.1. The petitioner is Challenging the order passed by Respondent no. 2 vide its order dated 25.04.2023 by which the respondent no. 3 imposed Censure entry and further challenging the order passed by respondent no. 2 vide its order dated 10.09.2025 by which the appeal preferred by the petitioner against awarding Censure entry has been rejected by respondent no. 2 on the ground of delay.

2.2. The petitioner was appointed as a Constable in the Police Department on 1989 Thereafter the petitioner was promoted as Sub-Inspector in the year 2008, and as on date, the petitioner has served more than 36 years in the Police Department with utmost dedication and exemplary character record and with utmost satisfaction of the superiors.

2.3. The petitioner has served with the show-cause notice by respondent no. 3 stating therein when the petitioner was posted at P.S Dharchula on 16.06.2022, a case was registered by Shri Prakash Chandra Joshi under section 457 and 380 of the IPC being FIR NO.24/2022 and the

investigation of the said case initially had been done by Kishore Pant and after transfer of Kishore Pant, the investigation was handed over to the petitioner on 30.07.2022 and the petitioner after engaging into the investigation on 02.08.2022 has made entry in the case diary-7. Further petitioner on 24.08.2022, 27.09.2022, 27.10.2022 and 04.11.2022 had made entries in the case diary-8, 9, 10, and 11 respectively and with effect from **04.11.2022 to 06.10.2022**, the petitioner had not made any entries in case diary for which the petitioner was directed by the then Deputy Superintendent of Police, Pithoragarh for proper disposal of the case, however, the investigation of the said case pending for a period of four months with the petitioner and the petitioner had not made any possible efforts in order to complete the investigation therefore, that amounts to professional misconduct.

2.4. The petitioner categorically replied the aforesaid show-cause notice vide its reply dated 06.04.2023 and the petitioner categorically states that the petitioner was posted at Dharchula district Pithoragarh on 28.07.2022. Thereafter, due to certain natural calamity/disaster with effect from 29.07.2022, certain rescue operations had been carried out in the affected areas and the petitioner was also entrusted with certain other investigation in which the petitioner had completed the investigation

successfully. It is further submitted that an FIR has been registered by one Sri Prakash Chandra Joshi against unknown persons under section 457 and 380 of the IPC being FIR NO. 24/2022 and after transfer of the earlier Investigation Officer Mr. Kishor Pant, the investigation was handed over to the petitioner and when the petitioner tried to approach Prakash Chandra Joshi, it came to the knowledge of the petitioner that the said person was transferred to Chandigarh, Punjab and none of his family members is available at the home and his landlord, who is Ex-Serviceman informed the petitioner that the said Prakash Joshi during the event of theft had gone to Haldwani to attend a marriage ceremony, and he was unable to disclose whether the theft had been done at Dharchula or Haldwani. Further, the petitioner had personally approached, Mr Prakash Chandra Joshi through mobile phone, however, that person did not inform his real location and in that eventually, the petitioner had no adequate evidences in respect of the incident of theft as narrated by Prakash Prakash Chandra Joshi. However, the petitioner had interrogated some of the suspected persons. On 04.11.2022 certain agitation erupted from Nepal at Dharchula and the petitioner was the only one person available at that time at the police station. Therefore, the petitioner could not carry out the

investigation in respect of the FIR registered by Mr Prakash Chandra Joshi. Further, the petitioner had requested the Superintendent of Police, Pithoragarh not to take any adverse view in view of the reply submitted by the petitioner in respect of the show-cause notice served upon him. It is further submitted that the petitioner also apprised the Superintendent of Police, Pithoragarh that the petitioner has unblemished an exemplary career of 34 years. Therefore, he requested the respondent no. 3 to take the liberal and empathetical view keeping in view of the long unblemished career of the petitioner.

2.5. It is relevant to mention hear that the respondent no. 3, vide its letter edited 30.11.2022, directed the Deputy Superintendent of Police Dharchula and directed him to investigate regarding the misconduct committed by the petitioner and the Deputy Superintendent of Police Dharchula, through its letter dated 20.03.2023, apprised the respondent no.3 that the petitioner is found guilty for negligence while investigating the matter when the petitioner is posted at Dharchula. It is further submitted that the petitioner has categorically apprised the Deputy Superintendent of Police Dharchula regarding the delay caused in investigation, however, the Deputy Superintendent of Police, Dharchula could not consider

the version of the petitioner and apprised the respondent no.3 that the petitioner is guilty of negligence.

2.6. It is relevant to mention here that in the case registered by Mr Prakash Chandra Joshi, a final report dated 09.05.2023 has been submitted by the then Investigating Officer/Sub-Inspector in which it is clearly stated by the Investigating Officer that many efforts have been made in order to enquire about the suspected accused. However, no information has been obtained, and the investigation is pending since long, therefore, the final report has been submitted in the matter and the submission of final report by then investigating Officer clearly established that the petitioner while In-charge of the investigation has made all possible efforts for the investigation and the same cannot be concluded for the reasons stated in the reply to the show-cause notice. However, the respondent no. 3, without considering the said aspect of the matter, pass the order awarding Censure entry to the petitioner.

2.7. Thereafter, the petitioner approached the respondent no. 2 by making an appeal against awarding Censure entry to the petitioner by respondent no. 3. However, the respondent no. 2 rejected the appeal of the petitioner on the ground of delay itself, stating therein that, the appeal

preferred by the petitioner at belated stage and the appeal of the petitioner is hopelessly time barred.

2.8. Both the respondents utterly failed to consider the version of the petitioner as it is categorically submitted by the petitioner to the show-cause notice issued by the respondent no. 3 that due to outrage from the side of Nepal and at that time, the petitioner is alone person present at the police station, therefore, the investigation of the case cannot be completed well within time, though all plausible effort was made by the petitioner to investigate the aforesaid case, and there is no deliberate attempt on the part of the petitioner to delay the investigation in the aforesaid matter, however, both the respondents could not consider the version of the petitioner and avoiding Censure entry and rejecting the appeal of the petitioner in very cursory and whimsical manner and the same cannot sustain in the eyes of law and liable to be set aside by this Tribunal.

3. Counter affidavit has been filed on behalf of the respondent No. 3 by Sri Kishore Kumar, Learned Assistant Presenting Officer, Uttarakhand Public Services Tribunal, Nainital Bench, Nainital, in which it has been stated that-

3.1. यह कि याचिका में याची द्वारा लिखे गये समस्त प्रस्तर अस्वीकार है एवं केवल वहीं प्रस्तर जो अभिलेखों पर आधारित है स्वीकार हैं।

3.2. यह कि याचिका का प्रस्तर संख्या–1 अभिलेखीय है परन्तु याची का कथन वास्तविक तथ्यों से विपरीत होने के कारण अस्वीकार है। इसके अतिरिक्त यह कहना है कि याची द्वारा उपराक्त प्रस्तर में किये गये कथन विधि एवं तथ्यों के विपरीत हैं इसलिए याची द्वारा प्रस्तुत याचिका किसी भी प्रकार से सुनवाई हेतु अंगीकृत किये जाने योग्य नहीं है तथा याची, याचिका में किये गये कथनों के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष पाप्त करने का अधिकारी नहीं है और याची की याचिका सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त यह कथन करना है कि यह कि याची जब वर्ष 2022 में कोतवाली धारचूला में नियुक्त थे तो कोतवाली धारचूला में दिनांकः 160.06.2022 को वादी श्री प्रकाश चन्द्र जोशी की लिखित तहरीर पर एफआईआर नं–24/2022 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 किशोर पन्त द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक किशोर पन्त के स्थानान्तरण के उपरान्त अग्रिम विवेचना दिनांकः 30.07.2022 को याची के सुपुर्द की गयी। याची द्वारा अभियोग की विवेचना दिनांकः 02.08.2022 को ग्रहण कर सीडी 07 किता की गयी। दिनांकः 24.08.2022 को सीडी–8, दिनांकः 27.09. 2022 को सीडी–9, दिनांकः 27.10.2022 को सीडी–10, दिनांक 04.11. 2022 को सीडी–11 किता की गयी। दिनांकः 04.11.2022 से 06.12. 2022 तक याची द्वारा कोई अभियोग दैनिकी किता नहीं की गयी जबकि तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक द्वारा भी याची को अभियोग के अनावरण हेतु सार्थक प्रयास कर विधिक निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था। अभियोग की विवेचना याची के पास लगभग 04 माह से अधिक समय तक रही परन्तु याची द्वारा विवेचना के निस्तारण हेतु कोई ठोस/साथक प्रयास किया जाना नहीं पाया गया। इस प्रकार याची द्वारा अभीयोग की विवेचना के निस्तारण हेतु कोई ठोस/साथक

प्रयास न कर विवेचना लम्बित रखना उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, शिथिलिता एवं स्वेच्छाचारिता का घोतक है। याची के उक्त प्रकरण की प्रा0 जॉच पुलिस उपाधीक्षक, धारचूला से सम्पादित करायी गयी तो जॉच अधिकारी द्वारा कोतवाली धारचूला में पंजीकृत मु0अ0सं0 24/2022 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात की विवेचना में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया। प्रा0 जॉच में याची के दोषी पाये जाने के उपरान्त याची को उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा 23 (2) (बी) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम 14 (2) के अन्तर्गत चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित किये जाने विषयक कारण बताओ नोटिस संख्याः द–16/2022 दिनांकः 27.03.2023 निगत करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। याची द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांकः 06.04.2023 को प्राप्त कर अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांकः 10.04.2023 को प्रतिवादी कायालय को उपलब्ध कराया गया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को बलहीन पाते हुए व सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण की गहन समीक्षा के उपरान्त प्रतिवादी द्वारा आदेश संख्याः द–16/2023 दिनांकः 25.04.2023 के द्वारा याची की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याची द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूॅ परिक्षेत्र नैनीताल को अपील प्रस्तुत की गयी। पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूॅ परिक्षेत्र नैनीताल के आदेश संख्याः सीओके–अपील–21/2025 दिनांक 10.09.2025 के द्वारा अपीलार्थी की अपील उत्तराखण्ड अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 अनुकूलन एवं

उपान्तरण आदेश–2002 के नियम 20 (6) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपील निर्धारित अवधि 90 दिवस के बाद प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप अपील संज्ञान में नहीं ली गयी जो कि नियमानुसार एवं विधिसम्मत् है। अतः याची की याचिका खारिज होने योग्य है।

3.3. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.2 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि याची जब वष 2022 में कोतवाली धारचूला में नियुक्त थे तो कोतवाली धारचूला में दिनांकः 16.06.2022 को वादी श्री प्रकाश चन्द्र जोशी की लिखित तहरीर पर एफआईआर नं–24/2022 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 किशोर पन्त द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक किशोर पन्त के स्थानान्तरण के उपरान्त अग्रिम विवेचना दिनांकः 30.07.2022 को याची के सुपुर्द की गयी। याची द्वारा अभियोग की विवेचना दिनांकः 02.08.2022 को ग्रहण कर सीडी 07 किता की गयी। दिनांकः 24.08.2022 को सीडी–8, दिनांकः 27.09.2022 को सीडी–9, दिनांकः 27.10.2022 को सीडी–10, दिनांकः 04.11.2022 को सीडी–11 किता की गयी। दिनांकः 04.11.2022 से 06.12.2022 तक याची द्वारा कोई अभियोग दैनिकी किता नहीं की गयी जबकि तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक द्वारा भी याची को अभियोग अनावरण हेतु सार्थक प्रयास कर विधिक निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था। अभियोग की विवेचना याची के पास लगभग 04 माह से अधिक समय तक रही परन्तु याची द्वारा विवेचना के निस्तारण हेतु कोई ठोस/साथक प्रयास किया जाना नहीं पाया गया। इस प्रकार याची द्वारा अभियोग की विवेचना के निस्तारण हेतु कोई ठोस/साथक प्रयास न कर विवेचना लम्बित रखना उच्चाधिकारियों के आदेशों की

अवहेलना एवं अपने कर्तव्यस के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, शिथिलिता एवं स्वेच्छाचारिता का घोतक है।

3.4. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.3 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वादी श्री प्रकाश चन्द्र जोशी की लिखित तहरीर पर एफआईआर नं–24/2022 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात कोतवाली धारचूला में पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 किशोर पन्त द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक किशोर पन्त के स्थानान्तरण के उपरान्त अग्रिम विवेचना दिनांकः 30.07.2022 को याची के सुपुर्द की गयी। याची द्वारा अभियोग की विवेचना दिनांकः 02.08.2022 को ग्रहण कर सीडी 07 किता की गयी। दिनांकः 24.08.2022 को सीडी–8, दिनांकः 27.09.2022 को सीडी–9, दिनांकः 27.10.2022 को सीडी–10, दिनांकः 04.11.2022 को सीडी–11 किता की गयी। दिनांकः 04.11.2022 से 06.12.2022 तक याची द्वारा कोई अभियोग दैनिकी किता नहीं की गयी जबकि तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक द्वारा भी याची को अभियोग के अनावरण हेतु साथक प्रयास कर विधिकि निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था। अभियोग की विवेचना याची के पास लगभग 04 माह से अधिक समय तक रही। याची द्वारा उक्त विवेचना लम्बित रखने के सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक धारचूला से प्रा0 जॉच सम्पादित करायी गयी तो जॉच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक धारचूला द्वारा याची को उक्त विवेचना में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया।

3.5. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.4 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय के पत्र संख्या द–16/2023 दिनांकः 24.04.2023 के द्वारा याची को उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा 23 (2) (बी) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस

अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम 14 (2) के अन्तर्गत चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित किये जाने विषयक कारण बताओ नोटिस निगत करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया। याची द्वारा उक्त नोटिस प्राप्त कर अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनांकः 10.04.2023 को इस कायालय को उपलब्ध कराया गया। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा गहन अध्ययन किया गया। याची द्वारा उक्त अभियोग में दिनांकः 04.11.2022 से 06.12.2022 तक स्थानान्तरण जाने तक कोई अभियोग दैनिकी किता नहीं की गयी, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक धारचूला द्वारा भी याची को अभियोग के अनावरण हेतु साथक प्रयास कर विधिक निस्तारण करने हेतु निदशित किया गया था। याची के पास उक्त अभियोग की विवेचना लगभग 04 माह से अधिक समय तक रही। प्रकरण में करायी गयी प्रा0 जॉच में भी जॉच अधिकारी द्वारा याची के उक्त विवेचना के निस्तारण हेतु कोई ठोस/साथक प्रयास किया जाना नहीं पाया गया। चोरी जैसे अभियोग में काफी विलम्ब से प्रगति अभियोग दैनिकी किता की गयी है जो विवेचना के प्रति याची की लापरवाही/शिथिलिता को परिलक्षित करता है जिस कारण ही याची को अपने बचाव हेतु युक्ति यक्त अवसर प्रदान करते हुए याची की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने के आदेश पारित किये गये।

3.6. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.5 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि याची द्वारा थाना धारचूला में पंजीकृत मु0अ0सं0–24/2002 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात की विवेचना के निस्तारण किये जाने हेतु कोई सार्थक प्रयास/रूचि न लिये जाने

के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक संख्याः ज–152/2022 दिनांकः 30.11.2022 को पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ को निर्देशित किया गया। जॉच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा याची को उक्त विवेचना में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया।

3.7. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.6, 4.7 एवं 4.8 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि याची द्वारा कारण बताओ नोटिस के प्रतिउत्तर में दिये गये स्पष्टीकरण का तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा गहन अध्ययन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ही अन्तिम आदेश पारित किया गया है व याची द्वारा उक्त दण्ड क विरूद्ध प्रस्तुत अपील निधारित समयावधि 90 दिवस के बाद प्रस्तुत करने के उपरान्त अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील को संज्ञान में नही लिया गया है।

3.8. .यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.9 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि याची जब वर्ष 2022 में कोतवाली धारचूला में नियुक्त थे तो कोतवाली धारचूला में दिनांकः 16.06.2022 को वादी श्री प्रकाश चन्द्र जोशी की लिखित तहरीर पर एफआईआर नं–24/2022 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवचेना तत्कालीन उ0नि0 किशोर पन्त द्वारा की सम्पादित की गयी। विवेचक किशोर पन्त के स्थानान्तरण के उपरान्त अग्रिम विवेचना दिनांकः 30.07.2022 को याची के सुपुर्द की गयी। याची द्वारा अभियोग की विवचना दिनांकः 02.08.2022 को ग्रहण कर सीडी 07 किता की गयी। दिनांकः 24.08.2022 को सीडी–8, दिनांकः 27.09.2022 को सीडी–9, दिनांकः 27.10.2022 को सीडी–10, दिनांकः 04–11–2022 को सीडी–11 किता की गयी। दिनांकः 04.11.2022 से 06.12.2022 तक याची द्वारा कोई अभियोग दनिकी किता नहीं की गयी जबकि

तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक द्वारा भी याची को अभियोग के अनावरण हेतु सार्थक प्रयास कर विधिक निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था। अभियोगी की विवेचना याची के पास लगभग 04 माह से अधिक समय तक रही परन्तु याची द्वारा विवेचना के निस्तारण हेतु कोई ठोस/सार्थक प्रयास किया जाना नहीं पाया गया। इस प्रकार याची द्वारा अभियोग की विवेचना के निस्तारण हेतु कोई ठोस/सार्थक प्रयास न कर विवेचना लम्बित रखना उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं अपने कर्तव्य के पति घोर लापरवाही, उदासीनता, शिथिलिता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

3.9. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.12 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त परिनिन्दा लेख विषयक दण्डादेश के विरूद्ध याची द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र नैनीताल को अपील प्रस्तुत की गयी। पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र नैनीताल के आदेश संख्याः सीओके–अपील–21/2025 दिनांकः 10.09.2025 के द्वारा अपीलार्थी की अपील उत्तराखण्ड/उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील नियमावली–1991) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–20 (6) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अपील निर्धारित अवधि 90 दिवस के बाद प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप अपील संज्ञान में नहीं ली गयी।

3.10. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.13 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा गहन अध्ययन किया गया। याची द्वारा उक्त अभियोग में दिनांकः 04.11.2022 से 06.12.2022 तक स्थानान्तरण जाने तक कोई अभियोग दैनिकी किता नहीं की गयी, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक धारचूला द्वारा भी याची को अभियोग के अनावरण हेतु

साथक प्रयास कर विधिक निस्तारण करने हेतु निदेशित किया गया था। याची के पास उक्त अभियोग की विवेचना लगभग 04 माह से अधिक समय तक लम्बित रहो। प्रकरण में करायी गयी प्रा0 जॉच में भी जॉच अधिकारी द्वारा याची के उक्त विवेचना के निस्तारण हेतु कोई ठोस/साथक पयास किया जाना नहीं पाया गया। चोरी जैसे अभियोग में काफी विलम्ब से प्रगति अभियोग दैनिकी किता की गयी है जो विवेचना के प्रति याची की लापरवाही/शिथिलिता को परिलक्षित करता है, जिसके उपरान्त ही याची की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3.11. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.14 एवं 4.15 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा याची के उक्त प्रकरण में दोषी पाये जाने के उपरान्त आदेश संख्याः द–16/2023 दिनांकः 25.04.2023 के द्वारा याची की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये, उक्त आदेश याची द्वारा दिनांकः 29.04.2023 को प्राप्त किया गया परन्तु याची द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील लगभग 02 वष 04 माह बाद प्रस्तुत की गयी जिस कारण पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूँ परिक्षेत्र, नैनीताल द्वारा अपीलाथी की अपील उत्तराखण्ड/उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील नियमावली–1991) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–20 (6) में निहित प्राविधानों के अन्तगत अपील निधारित अवधि 90 दिवस के बाद प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप अपील संज्ञान में नहीं ली गयी।

3.12. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.16 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को बलहीन

पाते हुए व सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलखों एवं प्रकरण की गहन सन्निरीक्षा के उपरान्त तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा आदेश संख्याः द–16/2023 दिनांकः 25.04.2023 के द्वारा याची की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3.13. यह कि याचिका के पस्तर संख्या–4.19 में किये गये कथन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि याची के प्रकरण में पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ से करायी गयी जॉच आख्या में जॉच अधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि उ0नि0 के पास उक्त अभियोग की विवेचना करीब 4 माह से अधिक समय तक रही। अभियोग दैनिकियों के अवलोकन से उ0नि0 द्वारा विवेचना के निस्तारण हेतु कोई ठोस/साथक प्रयास किया जाना नहीं पाया गया। चोरी जैसे अभियोग में काफी विलम्ब से प्रगति अभियोग दैनिकी किता की गयी है जो विवेचना के प्रति उ0नि0 की लापरवाही/शिथिलिता को परिलक्षित करता है। प्रकरण की जॉच से याची उ0नि0 बी0सी0 मासीवाल को कोतवाली धारचूला में पंजीकृत मु0अ0सं0–24/2022 धारा 457/380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात की विवेचना में लापरवाही बरतने का दोषी पाया जाता है। जिसके उपरान्त ही याची को अपने बचाव हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए याची की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

4. Rejoinder affidavit has also been filed on behalf of the petitioner in which it has been stated that the contents of the para no. 7, 8, 9, 10, 11 and 12 of the counter affidavit is vehemently denied it is further submitted that the the petitioner categorically replied the show-cause notice vide its reply dated

06.04.2023 and the petitioner categorically states that the petitioner was posted at Dharchula district Pithoragarh on 28.07.2022. Thereafter, due to certain natural calamity/disaster with effect from 29.07.2022, certain rescue operations had been carried out in the affected areas and the petitioner was also entrusted with certain other investigation in which the petitioner had completed the investigation successfully. It is further submitted that an FIR has been registered by one Sri Prakash Chandra Joshi against unknown persons under section 457 and 380 of the IPC being FIR NO.24/2022 and after transfer of the earlier Investigating Officer Mr. Kishor Pant, the investigation was handed over to the petitioner and when the petitioner tried to approach Prakash Chandra Joshi, it came to the knowledge of the petitioner that the said person was transferred to Chandigarh, Punjab and none of his family members was available at the home and his landlord, who is Ex-Serviceman informed the petitioner that the said Prakash Joshi during the event of theft had gone to Haldwani to attend a marriage ceremony, and he was unable to disclose whether the theft had been done at Dharchula or Haldwani. Further, the petitioner had personally approached, Mr Prakash Chandra Joshi through mobile phone, however, that person did not inform his real location and in that eventually, the petitioner had no adequate evidences in respect of the incident of theft as narrated by Prakash Prakash Chandra Joshi. However, the petitioner had

interrogated some of the suspected persons. On 04.11.2022 certain agitations erupted from Nepal at Dharchula and the petitioner was the only one person available at that time at the police station. Therefore, the petitioner could not carry out the investigation in respect of the FIR registered by Mr Prakash Chandra Joshi. Further, the petitioner had requested the Superintendent of Police, Pithoragarh not to take any adverse view in view of the reply submitted by the petitioner in respect of the show-cause notice served upon him, it is further submitted that the petitioner also apprised the Superintendent of Police, Pithoragarh that the petitioner has unblemished an exemplary career of 34 years**.** Therefore, he requested the respondent no. 3 to take the liberal and empathetical view keeping in view of the long unblemished career of the petitioner, however, the same can not be considered by the competent authority and award censure to the petitioner. Further, the respondent no. 3 did not accept the version of the petitioner and pass the order of Censure entry against the petitioner which cannot sustain in the eyes of law for the reason that the respondent no. 3 while passing the impugned order could not consider the version of petitioner, which, in fact, is correct as the petitioner has categorically disclosed the narration of the events due to which there is a delay of investigation in the aforesaid case. Further, both the respondents utterly failed to consider the version of the petitioner, as it is categorically submitted by the petitioner to the

show-cause notice issued by the respondent no. 3 that due to outrage from the side of Nepal and at that time, the petitioner is alone person present at the police station, therefore, the investigation of the case cannot be completed well within time, though all plausible effort was made by the petitioner to investigate the aforesaid case, and there is no deliberate attempt on the part of the petitioner to delay the investigation in the aforesaid matter, however, both the respondents could not consider the version of the petitioner and avoiding Censure entry and rejecting the appeal of the petitioner in very cursory and whimsical manner and the same cannot sustain in the eyes of law and liable to be set aside by this Tribunal. Further, it is very well settled principle of law that the Disciplinary Authority to apply its mind and consider all evidence before imposing a penalty, even if it is minor. Key principles include the authority's discretion to impose a penalty if the charges are proven, ensuring that a penalty is not imposed without proper application of mind. Further, the Disciplinary Authority must apply its mind to the facts and evidence, including the inquiry report and the employee's explanation, before imposing a penalty; a minor penalty cannot be imposed arbitrarily.

5. I have heard learned Counsels for the parties and perused the record carefully.

6. The learned Counsel for the petitioner as well as learned A.P.O. reiterated the averments of claim petition/rejoinder affidavit and the C.A./W.S. respectively. Both the arguments have been based upon facts only and not upon points of law. At the outset only it is apparent that –

(A). The matter belongs to mountainous terrains of Dharchula and Munsyari, which are among the most difficult areas and very tough working enviornments for any government employee in the entire State of Uttarakhand, bordering another country, i.e., Nepal, where obviously the first priority always goes to any kind of disturbance on the International Border or natural disaster etc. and then it comes down secondarily to crime investigation of a non-henius crime, like theft, as is the present case.

(B). The crime of theft took place on 16.06.2022 and was registered as Case Crime No. 24/2022 under Section 457/380 IPC at Police Station Munsyari. At the time of crime, the Investigating Officer was Sub-Inspector Civil Police Kishore Pant, who conducted the preliminary investigation, but was transferred-out on 28.07.2022 after which the petitioner got posted there and took over the investigation. Within a period of one month, the petitioner investigated and submitted C.D. 07 on 02.08.2022, C.D. 08 on 24.08.2022, C.D. 09 on 27.09.2022, C.D. 10 on 27.10.2022 and C.D. 11 on 4.11.2022, after which

he was not able to investigate any further due to disturbance on the Internatoional border on 04.11.2022, and due to the fact that he was an all alone Sub-Inspector present at the Police Station for sometime. Thus, between 04.11.2022 to 06.12.2022 he was unable to investigate any further.

(C). The complainant, who had filed the impugned F.I.R. on 16.06.2022 was one Prakash Chandra Joshi, an employee of the GREFF (Border Road Organisation), who got transferred soon after this F.I.R. to Chandigarh. The petitioner had not been able to go to Chandigarh for further investigation for obvious reasons, but definitely interrogated the complainant manytimes on the mobile telephone and observed that the complainant Prakash Chandra Joshi was quite evasive, and was not comingforth with the true events, and their chronology.

(D). This entire episode has been narrated by the petitioner during the preliminary enquiry conducted by Deputy S.P. Dharchula, report of which was submitted by the Enquiry Officer on 20.03.2023. The petitioner's statement reads as follows-

"**बयान उ0नि0 श्री भुवन चन्द्र मासीवाल पुत्र स्व0 श्री शिवदत्त मासीवाल निवासी ग्राम मासी, पोस्ट मासी, थाना चौखुटिया जनपद अल्मोड़ा हाल तैनाती थाना मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ मो0 नं0–9997237848**. बयान किया कि वर्तमान में मैं वर्तमान में माह जनवरी 2023 से थाना मुनस्यारी चौकी मरकोट में बतौर चौकी प्रभारी कायरत हूॅ। इससे पूर्व में दिनांक 28.07.2022 से 06.12.2022 तक थाना कोतवाली

धारचूला में बतौर वरिष्ठ उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त रहा SSI कोतवाली धारचूला के साथ–साथ मेरे पास थानाध्यक्ष पांगला का भी अतिरिक्त कायभार था कोतवाली धारचूला में दिनांक 16.06.2022 को वादी श्री प्रकाश चन्द्र जोशी की तहरीर पर पंजीकृत मुकदमा FIR No. 24/2022 धारा 457/380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात की विवेचना हस्त आदेश प्रभारी निरीक्षक महोदय के दिनांक 30.07.2022 को मुझ SSI के सुपुद की गयी थी, उक्त अभियोग की प्रारम्भिक विवेचना उ0नि0 किशोर पन्त द्वारा की जा रही थी। उनके स्थानान्तरण के उपरान्त विवेचना मेरे सुपुद होने पर मेरे द्वारा अभियोग की विवेचना दिनांक 02.08.2022 को ग्रहण की गयी तथा पुव विवेचक द्वारा अभियोग में किता CD-I से CD-VI तक का अवलोकन किया गया अवलोकन से पाया गया कि मुकदमा वादी श्री प्रकाश चन्द्र जोशी ग्रिफ में ऑपरेटर के पद पर धारचूला में तैनात था जो मेरे द्वारा विवेचना ग्रहण करने से पहले सपरिवार स्थानान्तरण पर चण्डीगढ़ चले गये थ जिनके मो0 नं0–9037624083 पर मैंने अपने मो0 नं0–9997237484 से सम्पक किया तो वादी द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.06.2022 को मेरे किराये के कमरे में कुण्डी तोड़कर बक्से में से मेरी माताजी का एक थैले में से दो नथ सोने की, तीन कान के झुमके, दो नाक की फुल्ली तथा 50-60 हजार रूपये नगद मेरी गैर मौजूदगी में चोरी कर लिये थे। उस दौरान मैं तथा मेरा परिवार एक शादी में हल्द्वानी गये थे। मेरे द्वारा अभियोग में दिनांक पर्चा 8th किता किया गया जिसमें क्षेत्र में अज्ञात चोरों की सुरागरसी, पतारसी व मुखबिर मामूर किये गये। CD 9th दिनांक 27.09.2022 को किता की गयी जिसमें अभियोग से सम्बन्धित माल मुल्जिमान की धारचूला क्षेत्र में तलाश, पतारसी, सुरागरसी की गयी, मुखबिरों से पूछताछ की गयी तथा वादी श्री प्रकाश चन्द्र जोशी से अपनी माताजी वाता कराने को कहा तो वादी द्वारा बताया कि मेरी माताजी वृद्ध हैं तथा उनकी याददाश्त कमजोर है। मैंने फिर भी मैं चण्डीगढ़

आऊंगा कहा तो वादी द्वारा कभी भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया तथा कहता रहा कि मैं आज कहीं बाहर हूं जिस कारण वादी व वादी के परिवार से वास्तविक घटना के सम्बन्ध में कोई ठोस जानकारी नहीं हो पायी। मैंने वादी को न तो देखा ह नही घटना के समय मैं कोतवाली में तैनात था। CD 10th दिनांक 27.10.22 को किता किया गया है। मामूरा मुखबिरान से जानकारी करने पर कोई लाभप्रद सूचना नहीं मिली। क्षेत्र में काफी तलाश, पतारसी–सुरागरसी की गयी, CD 11th दिनांक 04.11.22 को किता किया गया है जिसमें संदिग्ध लोकेश वमा पुत्र रमेश लाल वमा निवासी खड़ी गली धारचूला से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ कर बयान दज किये गये। उनके द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं दी गयी। इसी दौरान माह अगस्त.सितम्बर में धारचूला क्षेत्र में आयी आपदा के दौरान बचाव/राहत का काय भी किया गया तथा थाना पांगला का अतिरिक्त कार्यभार भी देखा गया। इसके साथ–साथ कोतवाली धारचूला के अन्य अभियोगों की विवेचना का निस्तारण भी किया गया। जब भी समय मिला अज्ञात माल मुल्जिमान की तलाश पतारसी सुरागरसी कर मुखबिर मामूर किये गये तथा घटना के अनावरण हेतु प्रयास किया गया। यही मेरा बयान है, पढ़कर सुनकर हस्ताक्षर करता हूँ।

प्रश्न– आपके द्वारा 04.11.2022 से दिनांक 06.12.2022 तक अभियोग में कोई CD किता नहीं की गयी है तथा घटना के अनावरण हेतु कौन–कौन से साथक प्रयास किये गये।

उत्तर– सर मेरे द्वारा उक्त विवेचना के साथ–साथ अन्य अभियोगों की विवेचना भी की गयी है। माल मल्जिमान की तलाश हेतु क्षेत्र में पतारसी–सुरागरसी की गयी पांगला थाने का अतिरिक्त कायभार भी देखा गया, कार सरकार की अधिकता के कारण अभियोग दैनिक किता नहीं की जा सकी फिर मेरा स्थानान्तरण हो गया था।”

These facts and circumstances have been quoted in the punishment order dated 25.04.2023 (Annexure No. 1) also. Nevertheless the Punishing Officer/Respondent No. 3 has categorically mentioned it as unacceptable and has gone ahead by granting the punishment of censure to the petitioner. This is noticeable here that the petitioner had been posted there only for a period of four months, the latter part of which was marred by the disturbances on the Indo-Nepal Border.

7. After having gonethrough the entire facts and circumstances of the matter, the Tribunal is of the opinion that Punishing Officer has been unduly inconsiderate regarding the terrain, topography, climate, and hardships present at the time of investigation before the petitioner and the decision to punish the petitioner with a censure entry was taken in haste, without due application of mind and conscience. In the light of the overall circumstances this punishment of censure does not stand judicial scrutiny and deserves to be set-aside.

<u>O R D E R</u>

Accordingly, the claim petition is allowed. The order dated 25.04.2023 passed by respondent No.3 awarding Censure entry to the petitioner and the order dated 10.09.2025 passed by the respondent No. 2 by which the appeal of the petitioner was rejected are set-aside. The respondent No. 3 is directed to expung the Censure entry from the service record of the petitioner within a

period of 45 days from the production of a certified copy of this judgment. No orders as to costs.

(Capt. Alok Shekhar Tiwari)
Member (A)

DATE: July 30th , 2026
NAINITAL
BK

.